भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.2577

16 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय- चरम मौसम की घटनाओं का किसानों की आय पर प्रभाव

2577. श्री अरविंद धर्मापुरीः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गत पांच वर्षों के दौरान अनियमित मानसून, चरम मौसमी घटनाओं तथा बढ़ती आदान लागतों के कारण किसानों की आय पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आकलनों के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का जलवायु से जुड़े जोखिमों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) ढांचे को संशोधित करने का विचार है; और

(घ) डिजिटल फसल सर्वेक्षण, बाजार आसूचना और किसान मूल्य समर्थन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) वर्ष 2011 से राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार (एनआईसीआरए) नामक परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है। यह परियोजना अनियमित मानसून, चरम मौसम घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करती है। भविष्य में होने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि के जोखिम और संवेदनशीलता का जिला स्तरीय आकलन और जलवायु परिवर्तन के भविष्य के अनुमानों का आकलन करने के लिए इंटीग्रेटेड सिमुलेशन मॉडलिंग अध्ययन किए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल (आईपीसीसी) के प्रोटोकॉल के अनुसार, 651 प्रमुख कृषि प्रधान जिलों में कृषि के जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन किया गया है। इनमें से 310 जिलों को संवेदनशील के रूप में चिह्नित किया गया है, जिनमें से 109 जिलों को उच्च संवेदनशील' और 201 जिलों को 'अत्यधिक संवेदनशील' श्रेणी में रखा गया है।

(ग): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) अनाज, मिलेट, दलहन, तिलहन और संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए बुवाई पूर्व से लेकर फसलोपरांत तक फसल क्षति के विरुद्ध व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान करती है। यह योजना बाढ़, जलभराव, भूस्खलन, सूखा, शुष्क मौसम, ओलावृष्टि, चक्रवात, कीट/रोग, प्राकृतिक आग/बिजली, आंधी, चक्रवात, तूफान और बवंडर जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण व्यापक उपज हानि से सुरक्षा प्रदान करती है। यह स्थानीय आपदाओं (ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, बादल फटना और प्राकृतिक आग) के कारण खेत स्तर पर उपज हानि और चक्रवात, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलोपरांत होने वाली हानि के प्रति भी कवरेज प्रदान करती है।

(घ): सरकार फसल उत्पादकता बढ़ाने, सतत विकास सुनिश्चित करने और किसानों की आजीविका को सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और आईओटी-सक्षम प्रणालियों का उपयोग करके डिजिटल फसल सर्वेक्षणों को सुदृढ़ कर रही है। फसल-मौसम मिलान और बुवाई पैटर्न की निगरानी के लिए खेत की तस्वीरों और उपग्रह चित्रों का उपयोग करते हुए एआई-आधारित विश्लेषण किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम), एग्री-स्टैक, वास्तविक समय डेटा संग्रह और आवक, कीमतों और मांग-आपूर्ति के रुझानों की निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से बाजार आसूचना को मजबूत किया जा रहा है। विभाग ने 23 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में 1,522 मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से एकीकृत किया है। दिनांक 30.06.2025 तक, ई-एनएएम पोर्टल पर कुल 1.79 करोड़ किसान और 2.71 लाख व्यापारी पंजीकृत हो चुके हैं, और इस प्लेटफॉर्म पर 12.54 करोड़ मीट्रिक टन और 49.15 करोड़ संख्यक (बांस, पान के पत्ते, नारियल, नींबू और मीठा मक्का सहित) का लगभग ₹4.57 लाख करोड़ मूल्य का व्यापार दर्ज किया गया है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नीति का कार्यान्वयन, खरीद कार्यों का विस्तार और पीएमएफबीवाई के माध्यम से जोखिम कवरेज सहित विभिन्न कदम उठाए हैं, जिससे सुनिश्चित लाभ, बाजार की अस्थिरता में कमी और कृषि आय में स्थिरता आई है।

******